P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

विश्व में आतंकवादी गतिविधियाँ एक सामाजिक परिदृश्य (विशेष संदर्भ भारत)

के0 एच0 वासनिक
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति शास्त्र विभाग,
गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड ह्यूमनिस्टिक,
अमरावती,महाराष्ट्र

सारांश

आज तमाम संसार जिस बालक के डर से काँप रहा है उस नन्हे बालक का नाम आतंकवाद है। इस बालक का जन्म दो महान सभ्यताओं की उपज है। जो अपने अपने वर्चस्ववादिता के लिए इस बालक को जन्म दिया है। वही बालक पूरे संसार में कोहराम मचा रहा है।

फ्रॉन्स, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, सीरिया या अन्य जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है वह इन्सानियत के लिए खतरे पैदा कर रहा है। आज तक आतंकवाद की परिभाषा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इनसायक्लोपिडीया ऑफ सोशल सायंस के अनुसार आतंकवाद वह पदक्रम है जिसका प्रयोग विधि या विधि के पीछे सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। भारत में आतकंवादी गतिविधियाँ आम बात हो गई है। इसके अलग अलग परिणाम भुगतने पड़ रहे है। इन्सान आतंकवाद के प्रति पंगुसा बन गया है। कभी कभी आतंकवाद के परिणाम इन्सानियत बदनुमा धब्बा बन गया है। इस पर सोच अनिवार्य है।

मुख्य शब्द : आतंकवाद, समाज, साम्प्रदायिक सद्भाव

प्रस्तावना

बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में एक अमानवीय प्रवृत्ति के रूप में आतंकवाद बड़ी तीव्रता से उभरा हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि हम आतंकवादी युग में जीवन जी रहे हैं। और आतंकवादी गतिविधियाँ एवं घटनाएँ किसी देश विशेष के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए अभिशाप का रूप धारण कर चुकी हैं। चाहे वह अमेरिका हो, या फिर भारत, पाकिस्तान हो या अफ्रीका, भारत में पंजाब हो या जम्मू काश्मीर, जगह–२ आतंकवाद आग की लपटे फैली हुई हैं। तथा आतंकवाद को प्रारम्भ में सरकारी के विरुद्ध एक युद्ध के रूप में समझा गया, परन्तु आज उसे व्यवस्थित, एवं लोकतांत्रिक समाजो तथा व्यवस्था के विरुद्ध हिंसात्मक रूप में देखा जा रहा हैं। आतंकवाद संपूर्ण मानव संस्कृति का शत्रु हैं, जो विश्व के उदारवादी समाजों को निरकुंश राज्य शासन अर्थात एटोक्रेसी की ओर धकेल रहा हैं। तथा आधुनिक आतंकवाद का रूप सबसे खतरनाक एवं भयावह हैं, जो अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं को ललकार रहा हैं। तथा प्राचीन काल की डाकागिरी के रूप से भी भिन्न हैं तथा यह एक प्रकार का सतत संग्राम हैं, जो परम्परागत संग्रामों के नियमों की परवाह नहीं करता। और नागरिक कानून को भी महत्व नहीं देता हैं। और आतंकवाद के समर्थक इसका आदर्शीकरण करके एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रतिदिन कार्यान्वित कर रहैं हैं।

आतंकवाद का संबंध भावना से हैं, तथा इसके समर्थक व्यक्तियों का आजादी की लड़ाई, मुक्ति संग्राम,दमन उत्पीड़न के विरुद्ध यद्ध, संघर्ष एवं क्रान्ति तथा अस्तित्व की रक्षा के लिए लडाई मानता हैं। इसीलिए आतंकवाद की क्रिया तो एक हैं। किन्तु उसे समझने एवं परखने के दृष्टिकोन भिन्न २ हैं। आतंकवाद के विभिन्न कारण हो सकते हैं। अत उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती हैं। सामान्य स्तर पर आतंकवाद का अभिप्राय राजनीति से प्रेरित हिंसा, तोड़–फोड़, बम ब्लास्ट, अपहरण, फिरौती, सामूहिक नरसंहार इत्यादि अन्य रूपों में की गयी अस्थिरता से लगाया जा सकता हैं।

ग्रान्ट वार्डला के शब्दों में, राजनीतिक आतंकवाद किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सत्ता के पक्ष या विरोध में हिंसा या हिंसात्मक धमकी हैं। जो अत्याधिक भयावह एवं गम्भीर चिन्ता उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गयी ऐसी कार्यवाही हैं जिसका लक्ष्य पीड़ितों के माध्यम से उस बड़े समुदाय को प्रभावित करना हैं। जिस पर दबाव बनाकर कार्यवाही करने वालो की राजनैतिक स्वीकार करने के लिए उसे बाध्य किया जा सके।

इनसाइक्लोपीडिया ऑफ दि सोशल साइन्सेस के अनुसार आतंकवाद वह पद क्रम हैं। जिसका प्रयोग विधि या विधि के पीछे सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिए किया जाता हैं। और जिससे संगठित समूह या पार्टी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग द्वारा करता हैं। तथा बिन लादेन, अल कायदा हिजबुल मुजाहिद्दीन दाऊद इब्राहीम नक्सलाईट, बब्बर खालसा, आई एस आई एस, अनेक आतंकी संगठन भारत एवं विश्व स्तर पर ऐसी घटनाओं को अन्जाम देने में लगे हैं।

वैसे तो भारत में आतंकवादी गतिविधियों का प्रारम्भ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आन्दोलनों के दौरान हुई थी। परन्तु उस समय आतंकवाद का स्वरूप उन अन्य तरीकों से भिन्न था जो देश की आजादी के लिए अनेक संगठनों द्वारा जैसे– उग्रवादियों, उदारवादियों द्वारा चलाये जा रहे थे। परन्तु आधुनिक आतंकवाद का अभिप्राय उन अपराधिक कृत्यों से हैं। जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख होकर और जिनका उद्देश्य कुछ विशिष्ट लोगों या सामान्य जनता के मन में भय एवं दहशत पैदा करना हैं। आतंकवादी कृत्यों की दिशा सत्ता के उन व्यक्तियों, एजेन्टों, या प्रतिनिधियों के विरोध में होती हैं। जो आतंकवादी लक्ष्यों की प्राप्ति में विरोध या हस्तक्षेप करते हैं। तथा आतंकी क्रियाओं में यंत्रों एवं सम्पत्ति के विनाश के अतिरिक्त राज्य या भूमि के विनाश की क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता हैं। हाल ही में १३–१२–२०१५ का फ्रॉन्सपर आयएसआयएस का आक्रमण बोलता उदाहरण हैं।

भारत में आतंकवाद का जन्म

भारत में आंतकवाद कि जड़े भारतीय समाज व्यवस्था में दिखाई देती हैं। वर्णापर आधारित व्यवस्था में जो हुआ करता था उसे याद किया जाये तो उसकी तीव्रता अपने आप सिद्ध होती हैं।

भारत में आतंकवाद के जन्म का प्रमुख कारण ब्रिटिश कालीन नीतियाँ रही हैं। जिसमें भारतीयों को गुलामी से मुक्त होने के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़े थे, परन्तु आज के आतंकवाद की तुलना हम राष्ट्रवादी आन्दोलन के दौरान हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन से नही कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में आतंकवाद विश्व के सामने एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर कर सामने आया हैं। राष्ट्र एवं समाज में शान्ति स्थापित करना पुलिस प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य हैं। जिस वजह से आतंक पुलिस के लिए एक चुनौती हैं। आतंकवाद का आधुनिक स्वरूप सन १९६० और उसके पश्चात तेजी से बढ़ा हैं। जो संपूर्ण विश्व एवं भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ हैं। इसकी जड़े मानव सभ्यता के इतिहास में पायी जाती हैं। संसार में आतंक किसी न किसी रूप में सदा सर्वदा विद्यमान रहा हैं और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता रहा हैं। इतिहास के पन्नों में अनेक ऐसी रियासतों और अनेक राजाओं के नाम काले अक्षरों में लिखे तलाशे जा सकते हैं, जिन्होने अपनी निरंकुशता का प्रयोग करते हुए अपनी निर्दोष जनता को पीड़ायें पहुँचाई हैं। उदाहरण के लिए हिटलर मुसोलिनी अत उनका शासन आतंक का शासन कहा जा सकता हैं। इसी प्रकार कुछ संगठनों ने कभी–२ आतंक के शस्त्र को प्रयोग किया हैं। ११ वी शताब्दी से लेकर १३ वी शताब्दी तक असोसिस नामक इस्लामिक घटक ने इसका प्रयोग अपने प्रतिद्वन्दियों की हत्या करने में किया था। १६ वी शताब्दी के उतरार्ध में बहावी आन्दोलन द्वारा क्रान्तिकारियों को प्रेरणा दी गयी थी। तथा आजादी के पश्चात मार्च १९४८ में सी.पी.आई के दिशा–निर्देशन में तैलंगाना (आंध्रप्रदेश),काकद्वीप (प.बंगाल) में अनेक किसान आन्दोलन हुए और उनमें हिंसात्मक घटनाएँ घटित हुई, इसी प्रकार नागालैण्ड की स्वतंत्रता के प्रश्न को लेकर आतंकवादी गतिविधियाँ प्रारम्भ हुई जो सन् १९६६ में मिजोरम, १९७० में मणिपुर, १९८० में त्रिपुरा तक फैल गयी थी। और जिससे स्वयं साम्यवादी दल तो भागों में, सी.पी.आई. और सी.पी.आई.एम. में बँट गया तथा सन् १९६९ को सी.पी.आई.एम. को दल के विधिवत गठन की घोषणा की गयी। और इसने पुलिस को एक वर्ग का शत्रु बताया, अतः इन कारणों से राज्य सरकारों को इनकी गतिविधीयों पर नियंत्रण लगाना पड़ा। जिसमें प्रमुख राज्य पं.बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, आंध्रप्रदेश, तामिलनाडू, केरल, महाराष्ट्र एवं पंजाब इत्यादि थे। हाल ही में २०१५ उत्तर प्रदेश के दादरी नामक देहात में मुस्लिम हिन्दुओं का हिसांत्मक घटना, क्या कहती हैं, इस में सामाजिक आधार स्पष्ट होता हैं।

सन १९८० में पूर्वी भारत में विशेषतः त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी, और अनन्त सन १९८४ के चुनावों में सी.पी.आई.एम. ने सत्ता हासिल की, अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी घटनाओं ने राष्ट्रीय एकता में खतरा उत्पन्न करने का कार्य किया हैं। तथा बंगाल का स्वतन्त्रोत्तर आतंकवाद, सन १९६० दशक के अन्तिम वर्षो में नक्शलवादी आन्दोलन, और पंजाब में खालसा आतंकवाद, ऐसे ही दिग्भ्रमित किन्तु विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक रहा हैं। समकालीन भारत में राजनीति के क्षेत्र में हिंसा का प्रभुत्व तेजी से बढता रहा हैं, और आतंकवाद संभवत इसी की अभिव्यक्ति हैं। क्योंकि आज व्यक्ति की सुबह आतंकवादी घटनाओं के शीर्षको पर नजर पड़ने से प्रारम्भ होती हैं। और शाम आतंकी गतिविधियों के समाचारों से यहां तक कि टीवी चैनलों के माध्यम से इन्हीं बातों को बार–बार दोहराया जाता हैं। प्रो. राजनारायण का मत हैं, आज यातायात केंन्द्र, यातायात के साधन, प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र, उद्योग प्रधान क्षेत्र सभी आतंक के घेरे में आते जा रहे हैं। डॉ. वासनिक का कहना हैं की, टी.वी. चैनलो पर दिखायी जानेवाली बंद कर देनी चाहिए।

तथा हम यह भी पाते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को बहुत उच्च किस्म के विध्वंसकारी जैसे शस्त्र आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अतः इससे लगता हैं कि भविष्य में इन आतंकवादीयों को बॉयोलोजिकल केमिकल्स और आणविक शस्त्र जो मृत्यु और विध्वंस के पर्याय हैं, प्राप्त हो जायेंगे। तथा विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति होने से आतंकवादी गतिविधियों को अत्यधिक सहायता मिली हैं, और जिसने केन्द्रीयकृत संगठनात्मक ढाँचा बनाने और बहुस्तरीय आतंकवादी संगठनों के निर्माण में सहायता प्रदान की हैं। इनके अतिरिक्त वर्तमान में आतंकवाद का

प्रचार भी बढ़ा हैं। और इन कारणों से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में आतंकवाद का क्षेत्र बढ़ता जा रहा हैं। (दिसम्बर माह २०१५ के फ्रॉन्स, सिरिया एवं अन्य प्रदेश की घटनायें क्या दर्शाती हैं।)

आतंकवाद का उद्देश्य

आतंकवादी गतिविधियाँ अनियमित, क्रूर–उत्पीड़न और जबरदस्ती अथवा जान–माल को क्षति पहुँचाने वाली तकनीक एवं प्रविधि हैं। तथा आतंकवाद का प्रयोग उन उपराष्ट्रीय समूहों द्वारा किया जाता हैं, जो तणाव की भिन्न–२ स्थितियों में कार्य करते हुए वास्तविक या भ्रममूलक लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं तथा आतंकवाद के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं।

1. शक्ति का केन्द्र (सरकार/राज्य) से बलपूर्वक सौदेबाजी करके सुविधाएँ पाना।
2. अपने विरोधियों एवं मुखविरों को नष्ट करना और अनुयायियों के अनुसरण को सुनिश्चित करना।
3. भय एवं चेतावनी युक्त वातावरण निर्मित करके, भयानक एवं क्रूरतापूर्व कार्यो को अंजाम देना, ताकि प्रचार के साधन उन्हें जनता के मध्य स्वयं पहुचाँये।
4. अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु व्यापक पैमाने पर अव्यवस्था पैदा करना और सामाजिक ढाँचे को नष्ट करने का प्रयास करना।
5. राज्य में विद्रोही ताकतों को उभारणा और उन्हें विस्फोटक सामग्री एवं अस्त्र–शस्त्र प्रदान करना।
6. अपने मसूंबो को पूर्ण करने के लिए महत्त्वपूर्ण भवन, स्मारकों को नष्ट करना तथा पुलिस व सेना पर गोरिल्ला वार करके हत्या करना।
7. राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अपहरण करके, उन्हैं छोडने की शर्तो में अपनी बात स्वीकार करवाना।

अतः कहा जा सकता हैं। आतंकवाद एक प्रकार का युद्ध हैं। जो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लड़ा जाता हैं। और आज संसार के अधिकांश राष्ट्र इससे त्रस्त हैं। इसलिए आतंकवाद से निपटने के बहुआयामी कदम उठाने चाहिये।

आतंकवाद के कारण

भारत आतंकवाद की समस्या का सामना लगभग चार दशकों से अधिक समय से कर रहा हैं। क्योंकि वर्तमान में नक्सलवाद, माओवाद एवं दाऊद इब्राहिम बब्बर खालसा, तमिल टाइगर्स के अतिरिक्त, तथा उनसे पहले नागा, मिजों विद्रोहियों से निपटते समय भारत ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में समस्या और पं. बंगाल में नक्सलवादियों का सामना किया था। तथा आज आतंकवाद एक ऐसी समस्या बन चुकी हैं। जो न केवल राष्ट्रीय वरन् अन्तरराष्ट्रीय राजनीति को अस्थिर कर रही हैं। जिन कारणों ने आतंकवाद को व्यक्तियों द्वारा वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्य प्राप्त करने हंतु एक महत्वपूर्ण साधन बनाया हैं। उन उद्देश्यों की विशुद्धता में दृढ़ विश्वास, कट्टर निष्ठा, हिंसात्मक आदर्शवाद, आत्म बलिदान की भावना, तानाशाही की भावना, विदेशों से वित्तीय और भौतिक सहायता एवं सभ्यताओं का संघर्ष प्रमुख हैं।

भारत में पंजाब, जम्मू–काश्मीर, एवं असम में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान सर्वप्रथम कारण हैं। जो यह कार्य सन १९७१ में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने के बदले के रूप में कर रहा हैं। तथा पाकिस्तान आतंकवादियों को उक्त क्षेत्रों में उकसाने के अतिरिक्त उन्हें शरण देना, ट्रेनिंग देना एवं हथियार धन भी प्रदान करता रहा हैं। पाक के अधिकृत कश्मीर में लाहौर, इस्लामाबाद के आस–पास क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। तथा कारगिल यद्ध कुछ ऐसे ही प्रशिक्षणों का परिणाम था।

दुसरी ओर पाकिस्तान सीमा पर तस्कीरी क्षेत्र का होना हैं। जो नशीली वस्तुओं के आदान–प्रदान का केन्द्र बन गया हैं। क्योकि प्रतिवर्ष कई हजार करोड़ रुपये की नशीली वस्तुयें अफगाणिस्तान से पाकिस्तान, एवं पाकिस्तान द्वारा भारत–युरोप सहित अमेरिका में पहुँचाई जाती हैं। युरोप के विभिन्न आतंकवादी समूहों के समान पंजाब, जम्मू–कश्मीर के आतंकवादी समूह भी इसमें संलिप्त हैं। तस्करी लिप्त यह अपराधी संगठन भी आतंकवादीयों कार्यों में भाग लेते हैं। जिनकी देखरेख आई.एस.आई द्वारा की जाती हैं। तथा अधिकांश शिबिर अफगाणिस्तान के विद्रोहियों के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते हैं।

भारत के राजनेताओं का स्वार्थ भी इसका कारण माना जा सकता हैं। क्योंकि अपने व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थो एवं हितो की पूर्ति के लिए आतंकवादीयों का प्रयोग हिंसा के लिए करते रहें हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों द्वारा आतंकवादियों को किराये पर लाया जाता हैं। जिससे आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होती हैं। इस प्रकार सुचनाओं समाचार पत्रों में छपती भी रहती हैं। तथा कुछ राष्ट्रों द्वारा भारत के आतंकवादीयों को प्रशिक्षित करना उन्हें अपने यहाँ शरण देना तथा धन हथियार इत्यादि देना हैं। यह कार्य कुछ राष्ट्रीय सरकारे अपने स्वार्थो के लिए करती हैं। अर्थात पाकिस्तान और चीन शत्रुता की भावना से यह कार्य करते हैं। भारत की सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति भी आतंकवाद एक महत्वपूर्ण कारण हैं। और इन कारणों से आतंकवाद की समस्या दिन–प्रतिदिन भयावह होती जा रही हैं। इसमें आतंकवाद का अन्तरराष्ट्रीयकरण आग में घी डालने का कार्य कर रहा हैं। क्योंकि आतंकवाद का प्रचार–प्रसार इतना व्यापक हो गया हैं कि आतंकवादी हमारे देश की राजधानी नयी दिल्ली और भारतीय संसद तक पर आक्रमण करने में सफल हैं चुके हैं। इसके दूसरी हमारे राष्ट्र में निर्धनता एवं बेकारी भी इसका कारण मानी जा सकती हैं। क्योंकि जम्मू–काश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मेंघालय, आसाम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में स्वतंत्रता के बाद न तो उद्योग धंदे स्थापित किये गये, और न ही अधिक विषमता दूर की गयी, नक्शलवाद, माओवाद इन्ही विषमताओं का परिणाम हैं। तथा धार्मिक उन्माद भी इसका करण मान सकते हैं। क्योंकि भारत में कुछ धर्मो के मध्य साम्प्रदायिक हिंसा अधिक मात्रा में होने के कारण उत्पीड़ित व्यक्ति अपने को भारत में असुरक्षित समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्ति आतंकवादी संगठनों के चुंगल में फंस जाते हैं। जिससे राष्ट्र में आतंकवादी घटनाओं को अन्जाम देने में सफल हो जाते हैं।

अत उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं। जैसे – भाषावाद, क्षेत्रवाद,

जातिवाद, साम्प्रदायिकवाद, उग्रवादी विचार, और हिंसात्मक गतिविधियाँ अत्याधिक आर्थिक असमानता, धार्मिक पुर्वाग्रह तथा राष्ट्रीय चेतना एवं जागृती की कमी, राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट स्वार्थी राजनेता, अवसरवादी राजनीति, राज्यों एवं केन्द्र के कटु संबंध छात्र असन्तोष, अलगाववाद की भावना मनोवैज्ञानिक दशायें निरंतर. खबरो में किसी एक जाति को टारगेट करना, स्वार्थ परन्तु राजनीति इत्यादि भी इसके कारणों में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

आतंकवाद के उपागम

आतंकवाद के उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता हैं। कि अभी तक इससे संबंधित कोई सर्वमान्य सिध्दान्त प्रस्तुत नहीं हो पाया हैं।

अत आतंकवाद के सिद्धान्त के विकास की दिशा में जो भी कुछ कार्य किये गये हैं, उनके आधार पर मुख्य उपागम निम्नलिखित हैं।

राजनीतिक उपागम

राजनैतिक आतंकवाद का जन्म और भी राष्ट्र में उस समय होता हैं, जब किसी वर्ग के अस्तित्त्व, राजनीतिक आधारों और सत्ता के मार्ग को अविरुद्ध किया जाता हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में किसी शक्तिशाली समूह अथवा कई शक्तिशाली समूहों के संगठित समुह की मांगो को जब शासन नकार देता हैं। तब राजनीतिक आतंकवाद का मार्ग खुलने लगता हैं इन परिस्थितियों में विदेशी शासन के विरुद्ध अथवा अपने ही शासन द्वारा मांगो को बुरी तरह दबा देने इत्यादि कारणों से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों एवं कार्यो को जिसका उद्देश्य राजनीतिक हो, उसे राजनीतिक आतंकवाद कहा जाता हैं। इस दृष्टि से आतंकवाद का राजनीतिक उपागम राजनीतिक परिस्थितियाँ, शक्ति, सत्ता के ढाँचे और सैन्य संगठन इत्यादि प्रक्रियाओं उनके यह संबंधो पर जोर देता हैं। इस उपागम की मान्यता हैं कि राजनीतिक आतंकवाद का प्रकोप राजनैतिक संस्थाओं के अन्त संबंधो से उत्पन्न होता हैं और जो आगे चलकर क्रान्तिकारी हिंसा का रूप ले लेता हैं।

फेलिस्क ग्रांस ने इसके दो आदर्श बताये हैं।

1. वह आतंकी आन्दोलन जो कि विदेशी शासन व्यवस्था के विरुध्द किया जाये।
2. दूसरा यह आंदोलन जो आन्तरिक स्वेच्छा चारिता पूर्ण शासन के विरोध में प्रारंभ होता हैं। और यह आंदोलन वर्तमान प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के विरोध में अवांछित स्वतंत्रताओं एवं मांगो के रूप में होते हैं। जबकि प्रथम विदेशी सरकार के विरुद्ध किये आन्दोलन जैसे भारत एवं दक्षिणी आफ्रीका में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरुध्द किये गये आन्दोलन एवं हिंसा इत्यादि। तथा राजनैतिक आतंकवाद का उद्देश्य जनता का समर्थन प्राप्त कर शासन की सैनिक व मनोवैज्ञानिक शक्ति को क्षति एवं आन्तरिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न करना हैं।

मनोवैज्ञानिक उपागम

आतंकवाद का मनोवैज्ञानिक उपागम आतंकवादियों के अध्ययन पर बल देता हैं। क्योंकि आतंकवादियों का व्यक्तित्व एवं उनका दृष्टिकोण आतंकवाद की ओर उनका आकर्षण किसी आतंकवादी संगठन में उनका प्रवेश तथा आतंकवाद गतिविधियों में उनका शामिल होना इत्यादी का अध्ययन आतंकवाद को समझने में सहायक हैं। तथा आधुनिक साहित्य में आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक उपागम को मॉलरक्स ने अपने ग्रंथ ला कन्डीशन ऑफ हयूमन में बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया हैं। इनके अतिरिक्त मनोविज्ञान के प्रोफेसर राजनारायण ने भी आतंकवाद के इस उपागम की व्याख्या की हैं। उपागम की धारणा के अनुसार कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ व्यक्तियों के व्यवहार को हिंसात्मक बना देने में सफल हो जाती हैं। क्योंकि सामाजिक जीवन में व्यक्ति हिंसा को पसन्द नहीं करते हैं, ऐसे में व्यक्ति के व्यवहार को हिंसात्मक बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपना कर लोगों के मस्तिष्क में अपनी बात बैठा देने में सफल हो जाते हैं। और आज की बुराईयाँ उस व्यवस्था की देन हैं। जिसे वे बदल देना चाहते हैं। क्योंकि आतंकवाद की मनोवैज्ञानिक अवधारणा बुद्धि तर्क एवं सोच से अलग नहीं हैं। और विजय, पराजय के कुछ क्षण में आतंकवादी को सेनानी अथवा अपराधी के रूप में प्रदर्शित कर देती हैं तथा जो आतंकवादी को सदाचारी देशभक्त या अनाचारी एवं राजद्रोही सिद्ध कर देता हैं। तथा इस कारण से ही मार्शल टीटो, सुकर्णो जैसे आतंकवादी स्वतंत्रता सेनानी और बहिस्ता ईदी, अमीन, पॉलपॉट, ओसामा बिन लादेन, बगदादी, मो. कसाब इत्यादि को अपराधी करार दिया गया। अन्तरराष्ट्रीय वातावरण और संचार या मीडिया के द्वारा किया गया प्रचार आतंकवादीयों के स्वरुप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता हैं। दुर्भाग्यवश आतंकवादियों द्वारा भयावह स्थिति पैदा कर देने से जन साधारण उनका विरोध करने के बजाय उनको समर्पित हो जाते हैं इसके लिए जीवन जीने की तमन्ना भी कारण दिखायी पड़ती हैं।

एक लोकतान्त्रिक प्रणाली वाली स्वतंत्र विचारधारा की सरकार को बहुत सोच समझकर अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिये और कार्यान्वित करने में अत्याधिक सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कोई संगठन, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक या अल्पसंख्याकों के नाम पर ऐसी कोई आवाज न उठ पाये और जिससे कि वह सरकार अवांछित भय और उत्पीड़न देनेवाली कही जाये और उसके विरुद्ध आंदोलन शुरु किये जा सके। लेकिन कई बार ऐसा होते दिख रहा हैं। उस पर भी राष्ट्रीय बहस अनिवार्य हैं।

सैनिक उपागम

आतंकवाद का यह उपागम फ्रांसीसी विचाराकों की देन हैं। और कुछ अमेंरिकी विद्वानों ने इस उपागम को स्वीकार करते हुए आतंकवाद का अध्ययन किया हैं। डॉ. ब्रुक्स बोगंर, डॉ. राजनारायण, थानर्टन इत्यादि विद्वान अपने अध्ययन में यह स्पष्ट नहीं कर पाये हैं कि कौन सी परिस्थितियाँ व्यक्ति के व्यवहार को आतंकवादी बना देती हैं। तथा वर्तमान में आतंकवादियों की संहार क्षमताओं पूर्व काल की तुलना में बहुत बढ़ गयी हैं। तथा आजकल आमने–सामने के युध्द के स्थान पर शत्रु पर बहुत दूर से निशाने लगाये जा सकते हैं। तथा आतंकवादी अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए बम विस्फोट जैसे साधनों का

प्रयोग करने वाली नयी प्रणाली रिमोट कन्ट्रोल का प्रयोग करने लगे हैं।

इस प्रकार आतंकवाद का यह उपागम इन तथ्यों पर बल देता हैं कि आतंकवादी हत्यायें करके, भय उत्पन्न करके, बम ब्लास्ट करके सशस्त्र बल पुलिस सरकार और जन साधारण पर प्रभाव डालकर उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आतंकवाद के आधुनिक स्वरूप को समझने के लिए हमें उसके अध्ययनों के तीनों उपागमों का सहारा लेकर आतंकवादियों और उनके संगठनों पर अध्ययन किया जा सकता हैं। परंतु समय के साथ–साथ आतंकवादियों की कार्यविधि भी बदलती रहती हैं। जिसके प्रमुख उदाहरण–विमान अपहरण, पत्र बम, बूवी ट्रेप, विध्वंसक पार्सल, बम विस्फोट, राष्ट्रीय स्मारकों, भीड़–भाड़ के स्थानों पर बम ब्लास्ट महत्वपूर्ण नेता का अपहरण तथा उनकी हत्यायें इत्यादि घटनाओं को अन्जाम देने में आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौरपर १३ डिसेंबर २०१५ का आंतकी हमला जव्लंत उदाहरण हैं।

आतंकवाद की रोकथाम के सुझाव एवं उपाय

आधुनिक समय में आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी हैं। और विश्व के अधिकांश राष्ट्र इसके रोक थाम के उपाय खोजने में लगे हैं। आतंकवाद पर निम्नलिखित सुझावों, उपायों को अपना कर नियंत्रण लगाया जा सकता हैं।

1. यदि विश्व के सभी राष्ट्र आतंकवादियों को अपने शत्रु विरोधी देशों के विरुध्द प्रशिक्षण शरण प्रोत्साहन देना बन्द कर दे, तो आतंकवाद में काफी कमी आ सकती हैं।
2. विश्व स्तर पर आचार–संहिता बनायी जाये और सभी राष्ट्रों के लिए उसका पालन अनिवार्य हो।
3. सभी राष्ट्र एक – दूसरे राष्ट्र में आतंकवाद को बढ़ावा न देने का संकल्प ले। तथा आतंकवादियों को शरण देने वाले राष्ट्र का विश्व स्तर पर बहिष्कार किया जाये।
4. आतंकी घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षा–संरक्षकों का गठन किया जाये जैसे कि अमेरिका इजराईल में किया गया हैं। तथा इन सुरक्षा–संरक्षको को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि वे आतंकवाद को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर दे।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आतंकवाद की रोकथाम हेतु कठोर एवं आवश्यक कदम उठाये जाये। और जो देश आतंकवाद को बढावा देता हैं। उनको आतंकी देश घोषित करते हुये उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया जाये।
6. अपने देश के बेरोजगार युवा वर्ग को समुचित रोजगार के अवसर सुलभ कराये जाये। ताकि वे आतंकवादीयों के बहकावे में न आ सके।
7. संविधान की धारा–३७० को समाप्त किया जाये ताकि देश के लोग जम्मु–काश्मिर में रह सके और इससे परस्पर विश्वास और भाई–चारा बनेगा और भटके कश्मीरियों में भारतीयता का भाव प्रकट होगा।
8. साहित्य और संचार माध्यमों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता बढाई जाये और राष्ट्रवादी भावना पैदा की जाये। ताकि धर्म, भाषा, क्षेत्र और जातिगत हितों से बढ़कर राष्ट्र हितों को स्थान दिया जाये।
9. नक्सलवाद जैसी समस्या को भारत सरकार द्वारा उनके रोजगार के अवसर बढाकर उनका उत्पीड़न रोककर और उन्हें विशेष तौर पर संरक्षण देकर तथा इन क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने खत्म करने का प्रयास किया जाये और इन क्षेत्रों जनजातियो को शोषित करने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड का प्रावधान किया जाये और नक्सलवाद से जुड़े व्यक्तियों को समझा बुझाकर उनको अच्छे मार्ग पर लाने का जोरदार प्रयास किया जाये।
10. हमारी मानसिकता, संवेदनशीलता एवंम् दायित्व का निर्धारण किया जाए।

आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि रोकथाम अधिनियम

भारत सरकार ने देश में आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सन १९८५ ने टाडा कानून बनाया जिसमें आतंकवादियों को दण्डित करने के साथ साथ अतिरिक्त मनोनीति न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान था। तथा यह न्यायालय अभियुक्तों के सामान्य अधिकारों को कम करते थे। तथा यह अधिनियम अभियुक्त जमानत पर निषेध लगाता था और प्रमाण का भार अभियुक्त पर थोपती थी तथा पुलिस को दिये गये इकबालिया बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना था, और इस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार अभियुक्त किसी मॅजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं बल्कि एक विशेष अधिकारी के सम्मुख पेश किये जाने का प्रावधान था, जिसमें अभियुक्त को ६ महीने से लेकर १ वर्ष तक रिमाण्ड पर रखा जा सकता था। तथा इस अधिनियम के तहत १ साल की अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं माना गया।

तथा यह अधिनियम सन १९९४ में २२ राज्यों तथा ७ केन्द्र शासित राज्यों में लागू किया गया। तथा विभिन्न तर्कों और राजनीतिक दबावों के कारण भारत सरकार ने मई १९९५ के बाद इस अधिनियम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके पश्चात राज सरकार ने टाडा के स्थान पोटा (आतंकवाद विरोधक अधिनियम) अर्थात प्रिवेन्शन ऑफ टेरोरिज्म एक्ट पारित किया, जिसका चारों और विरोध हुआ इस कारण से अनेक राज्य सरकारों में अपने राज्य में इसे लागु करने से साफ इन्कार कर दिया। जबकि राष्ट्र हित के लिए समस्त राज नेताओं को एक मत होकर ऐसे अधिनियम को लागू करने के लिए सहमत होना चाहिए, ताकि देश में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगायी जा सके।

निष्कर्ष

1. आतंकवाद की समस्या के समाप्त करने के लिए हमें देश के नागरिकों में जागरूकता पैदा करनी होगी।
2. तथा जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वर्ग भेद की बढ़ती दीवारों को खत्म करे, साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाना होगा।
3. ताकि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो सके। तथा देश में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई के आधार पर जो राजनीति खेली जाती हैं, उसे समाप्त करना होगा, इसके लिए सर्वप्रथम सिर्फ एक राष्ट्रवादी

भारतीय बनना होगा, और करोड़ों देशभक्त खडे करने होंगे।

4. जिस दिन यह भावना एवं दृढ़ संकल्प समस्त भारतीयों में पैदा हो जायेगा। उस दिन यह समस्या आसानी से समाप्त हो जायेगी।
5. इसके अतिरिक्त देश में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक असमानता दूर करके भी नक्सलवाद माओवाद जैसी गम्भीर राष्ट्रीय समस्याओं को दूर करने के चर्म स्तर पर प्रयास करना चाहिये अतः उपरोक्त सुझावों के अपनाने से इस समस्या से निजात मिल सकती हैं।
6. आतंकवाद के रोकथाम के लिए संकुचित मानसिकता बदलना नितांत आवश्यक हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, आर. एल. रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया.
2. सक्सेना एन. एस. टेररोरिज्म, हिस्ट्री एण्ड फेक्टसद्व इन वर्ल्ड और इन्डिया, नई दिल्ली. १९८५.
3. अकबर, एम.जे रिओट आपटर रिपोर्ट ऑन कास्टस एण्ड वम्यूनोलिज्म वोयलेन्स पेनगुंइन नई दिल्ली. १९९८,८.६८.
4. गौतम नावेलखा, रीता मनचन्दानी एवं टॉपन बोस पोलिटिकल स्चिवेशन इन कश्मीर (इकोनॉमिक्स एण्ड पोलिटिकल वीकली) वोल्युम, २९, २० जुलाई १९९६, पेज १९२७–३१.
5. ए नेशनल सेक्यूट्री स्ट्रेटीजी फोर ए न्यु सेनचुरी, व्हाइट, मई १९९७, २७.
6. राजगोपालन, राजेश यु. एस. पोलिसी टू वर्ल्स साउथ एशिया दि रिलेवेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल एक्सप्लोनेशन, स्ट्रेटीजी एनेलेशिस,नई दिल्ली,मार्च २०००,वोल्युम ,१२ पेज १२, २००१–२००३.
7. सी. वी. आई बुलोटिन, फरवरी १९९७.
8. चौहान, व्ही. एस. एवं गौतम, अलका, भारत का भूगोल, रस्तोमी पब्लिकेशन मेंरठ.
9. समाचार पत्र पान्चजन्य १९ अक्टूबर १९९७.
10. नवभारत दैनिक समाचार पत्र सतना
11. प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर १९९९, ३९१/२
12. सिंह अशोक कुमार आधुनिक स्त्रोतजिक विचारधारा, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा.